



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45220 वर्ष 2025

रोहित उर्फ लाला उर्फ राजा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.के. त्रिपाठी, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक **रोहित उर्फ लाला उर्फ राजा** की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 497 वर्ष 2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना सरधना, जनपद मेरठ में पंजीकृत प्रकरण में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनावश इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आपराधिक इतिहास के दो प्रकरणों का पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना अथवा संगठक नहीं है तथा उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ब) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो दुष्प्रेरणा दी है और न ही सहायता की है। उपर्युक्त प्रकरणों के अतिरिक्त आवेदक का कोई अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 13.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है, यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालयों में प्रकरणों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र निष्पादन की कोई सम्भावना नहीं है।

इसके विपरीत, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाये गये प्रकरणों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध किसी अन्य प्रकरण की ओर संकेत नहीं किया है।

तथ्यों की समग्रता, प्रकरण की प्रकृति, अभिलेख पर परिलक्षित साक्ष्य तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों पर विचार करने के उपरान्त तथा प्रकरण के गुण-दोष के सम्बन्ध में कोई अभिमत व्यक्त किये बिना, मैं यह पाता हूँ कि यह जमानत प्रदान किये जाने का उपयुक्त प्रकरण है। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक, **रोहित उर्फ लाला उर्फ राजा** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाये अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जाये।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से, (i) प्रकरण के उद्घाटन, (ii) आरोप विरचित किये जाने तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किये जाने हेतु नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा कि जब विचारण न्यायालय में साक्षी उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर वह किसी स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल वर्तमान जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित है तथा इसे किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर अभिमत के रूप में नहीं माना जायेगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)

12 जनवरी, 2026

सुमैरा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।